निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 01/2022
दायरा दिनांकः– 12.01.2022
निर्णय दिनांकः– 20.8.25

उनवान

1. मुस0 गायत्री बाई आयु 43 वर्ष अेवा कालुराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवा तहसील छबडा
2. अंकित आयु 17 वर्ष नाबालिंगान पिसरान कालूराम वली एवं सरपरस्त माता स्वंय गायत्री बाई बैवा कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मोनु आयु 12 वर्ष नाबालिंगान पिसरान कालूराम वली एवं सरपरस्त माता स्वंय गायत्री बाई बैवा कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. मुस. मनीषा आयु 20 वर्ष पुत्री कलुराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. निशा आयु 16 वर्ष नाबालिंग पुत्री कालुराम वली एवं सरपरस्त माता स्वंय गायत्री बाई बैवा कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. गोपाल आयु 70 वर्ष आत्मज जमनालाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहील छबडा जिला बारां (राज0)
2. पप्पु आयु 40 वर्ष आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. गोरधन आयु 45 वर्ष आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. हंसराज आयु 30 वर्ष आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. रामेश्वर आयु 27 वर्ष गोपाल जाति मीणा निवासी ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)
7. उप पंजियन अधिकारी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,91,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 20.8.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – वादी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,91,188 ई.टी. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया ग्राम कंकरवा तहसील छबडा जिला बारा (राज०) में भूमिया खसरा नम्बरान 37 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 42/1 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 50 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 64 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा, खसरा नम्बर 62/1 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 63/1 रकबा 1 बीधा 04 विस्वा खसरा नम्बर 68 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा खसरा नम्बर 103 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 170 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, कुल किता 10 आराजीयात मवाजी 28 बीघा 4 बिस्वा, अवस्थित है। इसी प्रकार ग्राम कंकरवा तहसील छबडा जिला बारां (राज०) में ही भूमियां खसरा नम्बरान 178/107 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा खसरा नम्बर 179/107 रकबा 3 विस्वा, कुल 2 किता आराजीयात मवाजी 4 बीघा 12 विस्या, अवस्थित है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित भूमिया, प्रतिवादी कम संख्या 1 गोपाल की खातेदारी में दर्ज है. जो पेत्रिक सम्पति होने एवं मिताक्षरा पद्धति से शासित होने के कारण प्रतिवादी कम संख्या 1 गोपाल के पुत्र प्रतिवादी कम संख्या 2 ता 5 एवं कालूराम को उक्त वर्णित भूमियों पर जन्म से ही वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त है. उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार प्रतिवादी कम संख्या 1 गोपाल का पुत्र कालूराम का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान वादीगण होने के कारण मृतक कालूराम के स्थान पर उनको उक्त वर्णित भूमियों पर जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। उक्त वर्णित भूमिया पैत्रिक सम्पति होने एवं मिताक्षरा पद्धति से शाषित होने एवं खातेदार प्रतिवादी कम 1 गोपाल के पुत्रों को जन्म से ही उक्त वर्णित भूमियों पर वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त होने के कारण उक्त वर्णित भूमियों में स्वयं प्रतिवादी कम संख्या। गोपाल का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी कम संख्या 5 रामेश्वर का हिस्सा 1/6 एवं उसके पुत्रों प्रतिवादी कम संख्या 2 पप्पू का हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी कम संख्या 3 गोरधन का हिस्सा 1/6 प्रतिवादी कम संख्या 4 हंसराज का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी कम संख्या 5 रामेश्वर का हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी कम संख्या। गोपाल के मृतक पुत्र कालूराम के स्थान पर उसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान वादीगण का हिस्सा 1/6 वैधानिक एवं कानूनी तोर पर है। उक्त वर्णित भूमियों पर वैधानिक एवं कानूनी तौर पर वादीगण का 1/6 हिस्सा होने के कारण वादीगण ने प्रतिवादी कम संख्या 6 तहसीलदार छबड़ा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारीयों से सम्पर्क कर उक्त वर्णित भूमियों का हिस्सा 1/6 को वादीगण ने अपने नाम खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वादीगण की कोई सुनवाई नहीं की अन्त में दिनांक 26/08/2020 को पुनः अनुरोध करने पर प्रतिवादी कम संख्या 6 तहसीलदार छबड़ा द्वारा सक्षम न्यायालय में खातेदारी का वाद पेश करने की हिदायत दी. वादीगण ने प्रतिवादी कम संख्या 1 गोपाल से भी उक्त वर्णित भूमियों में से हिस्सा 1/6 वादीगण के नाम खातेदारी में कराने एवं उक्त वर्णित भूमियों का विभाजन कर वादीगण का 1/6 हिस्सा वादीगण के पृथक खातेदारी में दर्ज कराने एवं विभाजित शुदा भूमिया हिस्सा 1/6 पर वादीगण के अधिपत्य में संभलाये जाने का भी कई मर्तबा अनुरोध किया, किन्तु वह भी टालमटूल करता रहा अन्त में दिनांक 18/12/2021 को पुनः अनुरोध करने पर प्रतिवादी कम संख्या 1 गोपाल ने कतई इनकार कर भूमियों को अन्यत्र रहन वैय तथा हस्तान्तरण करने की वादीगण को धमकी दी अतः यही दिनांक 18/12/2021 बिनाय मुखासत वाद कायम किया जाता है। उक्त वर्णित भूमियां पेत्रिक सम्पति होने एवं मिताक्षरा पद्धति से शासित होने तथा उन पर वादीगण का जन्म से ही वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त होने के कारण वादीगण उक्त वर्णित भूमियों में हिस्सा 1/6 पर अपने आप को खातेदार घोषित कर हिस्सा 1/6 को यादीगण अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के वैधानिक एवं कानूनी तोर पर अधिकारी है. एवं भूमियों का विभाजन कराकर विभाजित शुदा भूमियां हिस्सा 1/6 को यादीगण अपने नाम पृथक खातेदारी में दर्ज कराने एवं विभाजित शुदा भूमियां हिस्सा 1/6 को वादीगण अपने अधिपत्य में भी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी / प्रतिवादीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण का जवाब दिनांक 17.03.2025 को बन्द किया गया। वादिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बालापुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 64 प्रर्दश 1 व नकल जमाबन्दी ग्राम ककरवा सम्वत् 2072–75 (प्रर्दश 1) एवं नकल जमाबन्दी ग्राम ककरवा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 18 (प्रर्दश 2) है। पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 गायत्री बाई बेवा कालूराम PW2 राजन्ती बाई पत्नि श्यामलाल PW3 श्यामलाल पुत्र कजोडलाल के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादिया द्वारा याद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक वादिया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम ककरवा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रतिवादी क्रम 1 गोपाल के खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि पैत्रक सम्पत्ति है मिताक्षरा पद्धति से शास्ति होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 गोपाल के पुत्र प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 एवं कालूराम को उक्त भूमि में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है प्रतिवादी क्रम 1 गोपाल के पुत्र कालूराम का स्वर्गवास हो गया है उनके जायज वारिसान वादीगण है मृतक कालूराम के स्थान पर वादीगण का जन्म से ही अधिकार है उक्त विवादित आराजी में वादीगण का 1/6 हिस्सा निहित है वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 गोपाल से हिस्सा 1/6 खाते दर्ज कराने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा साफ इन्कार कर दिया। वादीगण पैत्रक सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है प्रतिवादी क्रम 1 गोपाल वादीगण को भूमि देना नहीं चाहतें है वादीगण अपना हिस्सा प्राप्त कर अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराना चाहते है वादीगण का वादू स्वीकार कर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। विद्वान अभिभाषक वादी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1981 Page 512 एवं RRD 1978 Page 375 पेश किए।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम ककरवा तहसील छबडा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 17 (प्रर्दश 1) में गोपाल पुत्र जमनालाल जाति मीना का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम ककरवा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 18 (प्रर्दश 2) में गोपाल पुत्र जमनालाल जाति मीना का नाम दर्ज है। है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 गोपाल के खातेदारी में दर्ज है। वादीगण के प्रतिवादी 1 गोपाल के मृतकक पुत्र कालुलाल के वारिसान होने का प्रतिवादीगण द्वारा खंडन नही किया गया है। परन्तु वादीगण द्वारा मिताक्षरा पद्धति के आधार पर पैतृक सम्पत्ति में से हिस्सा चाहा गया है इसलिए विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है यह साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों प्रर्दश–1 एवं प्रर्दश–2 से यह भूमि पैतृक होना साबित नही होती है। जहा तक विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का प्रश्न है ये दोनो ही न्यायिक दृष्टांत पैतृक सम्पत्ति के विभाजन पर लागू होते है। अर्थात् इस प्रकरण में चस्पा नही होते है चूंकि वादीगण भूमि को पैतृक साबित करने में विफल रहे है। इसलिए मिताक्षरा पद्धति के आधार पर चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित नही है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बोरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 01 / 2022	धारा 53,88,89,91,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:- 20.8.25

समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां

उपस्थिति :अभिभाषकवादी:-श्री अरविन्द प्रताप सिंह	अभिभाषकप्रतिवादी:- श्री

वाद शीर्षक

उनवान

1. मुस0 गायत्री बाई आयु 43 वर्ष अेवा कालुराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवा तहसील छबडा
2. अंकित आयु 17 वर्ष नाबालिंगान पिसरान कालूराम वली एवं सरपरस्त माता स्वंय गायत्री बाई बैवा कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मोनु आयु 12 वर्ष नाबालिंगान पिसरान कालूराम वली एवं सरपरस्त माता स्वंय गायत्री बाई बैवा कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. मुस. मनीषा आयु 20 वर्ष पुत्री कलुराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. निशा आयु 16 वर्ष नाबालिंग पुत्री कालुराम वली एवं सरपरस्त माता स्वंय गायत्री बाई बैवा कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. गोपाल आयु 70 वर्ष आत्मज जमनालाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहील छबडा जिला बारां (राज0)
2. पप्पु आयु 40 वर्ष आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. गोरधन आयु 45 वर्ष आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ककरवां तहसील छबडा जिला बारां
4. हंसराज आयु 30 वर्ष आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ककरवां तहसील छबडा जिला बारां
5. रामेश्वर आयु 27 वर्ष गोपाल जाति मीणा निवासी ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)
7. उप पंजियन अधिकारी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 20.8.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला-बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.स.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वेदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		